मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3656
10.08.2026 को उत्तर के लिए

चंद्रपुर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय

3656. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में अप्रैल माह के 30 दिनों में से 26 दिनों के दौरान वायु गुणवत्ता 'मध्यम से प्रदूषित' श्रेणी में दर्ज की गई, जिसके कारण नागरिकों में श्वसन संबंधी रोग बढ़ रहे हैं;
(ख) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत चंद्रपुर शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है तथा केंद्र सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत निधि की राशि कितनी है;
(ग) चंद्रपुर स्थित स्थानीय ताप विद्युत संयंत्रों और अन्य उद्योगों के लिए अत्याधुनिक प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी स्थापित करना अनिवार्य बनाने हेतु सरकार द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या केंद्र सरकार का विचार कोयला खदानों और औद्योगिक गलियारा क्षेत्रों में वास्तविक समय पर वायु गुणवत्ता की निगरानी करने तथा धूल के कणों (पीएम10 और पीएम2.5) की सांद्रता कम करने के लिए एक विशेष पर्यावरण कार्यबल गठित करने का है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): अप्रैल 2026 के दौरान चंद्रपुर शहर की वायु गुणवत्ता 'अच्छी' दर्ज की गई, जिसमें 3 संतोषजनक दिन (एक्यूआई: 51-100) और 27 मध्यम दिन (एक्यूआई: 101-200) शामिल थे। शहरी क्षेत्रों में बेहतर वायु गुणवत्ता प्रदान करने के लिए, सरकार ने चंद्रपुर सहित वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने वाले और दस लाख से अधिक आबादी वाले 130 शहरों/शहरी समूहों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत की है। प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान के लिए आईआईटी बॉम्बे और एनईईआरआई द्वारा चंद्रपुर के लिए उत्सर्जन सूची तथा स्रोत विभाजन संबंधी अध्ययन किया गया है। चंद्रपुर शहर के लिए विभिन्न वायु प्रदूषण स्रोतों जैसे सड़क की धूल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वाहनों

से निकलने वाला धुआँ, निर्माण गतिविधियाँ और औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए विभिन्न वायु प्रदूषण न्यूनीकरण उपायों को प्राथमिकता देने हेतु नगर कार्य योजना तैयार की गई है।

चंद्रपुर नगर पालिका को वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक शहरी कार्य योजना के एक हिस्से के रूप में वायु गुणवत्ता सुधार उपायों का कार्यान्वयन करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रदर्शन संबंधी 18.25 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है।

एनसीएपी का कार्यान्वयन और निगरानी केंद्रीय, राज्य और शहर स्तर के विभागों और हितधारकों को शामिल करते हुए त्रिस्तरीय संस्थागत निकाय के माध्यम किए जाते हैं। 'दिशा' (डीआईएसएचए) समिति सहित अन्य समितियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर इसकी नियमित समीक्षा और निगरानी की जाती है।

औद्योगिक क्षेत्रों के लिए व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) की निगरानी सीपीसीबी द्वारा की जाती है। वर्ष 2018 के दौरान चंद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र का सीईपीआई स्कोर 76.41 था और इसे 'अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र (सीपीए)' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वर्ष 2020 के दौरान, चंद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) द्वारा कार्य योजना तैयार करके प्रस्तुत की गई थी।

इसके अलावा, सीपीसीबी ने सीपीए और एसपीए क्षेत्र की कार्य योजना की प्रगति की निगरानी के लिए 'सीईपीआई कार्य योजना समीक्षा' पोर्टल विकसित किया। एमपीसीबी द्वारा उक्त पोर्टल पर दी गई रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2025 (मानसून-पूर्व अवधि) के दौरान चंद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र का सीईपीआई स्कोर 60.72 था और यह 'अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र' से हटकर 'गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र' की श्रेणी में आ गया है।

इसके साथ ही, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-I के अंतर्गत तापीय ऊर्जा संयंत्रों सहित "विभिन्न उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सारण के लिए मानक" अधिसूचित किए हैं। जहां औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट मानक उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-VI के अंतर्गत अधिसूचित सामान्य मानक लागू होंगे।

नियामक तंत्र के माध्यम से रियल टाइम निगरानी और स्व प्रभावी अनुपालन को और बेहतर बनाने के लिए, सीपीसीबी ने अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणियों को ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने के लिए निर्दिष्ट किया है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार, इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध अन्य सभी नई परियोजनाओं या कार्यकलापों के साथ-साथ तापीय विद्युत संयंत्रों एवं कोयला खदानों सहित मौजूदा अन्य परियोजनाओं या कार्यकलापों के विस्तार, आधुनिकीकरण या उत्पाद मिश्रण अथवा कच्चे माल के मिश्रण में किसी भी प्रकार के परिवर्तन, जिसके परिणामस्वरूप उक्त अनुसूची में संबंधित क्षेत्र

के लिए विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक क्षमता हो जाए, के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्राप्त करना अपेक्षित है। ईसी प्रदान करने की प्रक्रिया में, अन्य बातों के अलावा, एक व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट तैयार करने के साथ-साथ परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करना भी शामिल है और साथ ही साथ इसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के स्थापन सहित उपशमन संबंधी समुचित उपायों का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जारी संचालन की सहमति के अंतर्गत उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के स्थापन सहित प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के क्रियान्वयन का प्रावधान किया गया है।
